भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 430

27 नवंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई के तहत फोर्टिफाइड चावल

430.श्रीमती शांभवी:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री राजेश वर्मा:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की निगरानी के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह पहल सरकार की भारत को एनीमिया मुक्त बनाने की रणनीति के अनुरूप है और कमजोर आबादी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया को कम करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल को दूरदराज और वंचित समुदायों तक पहुंचाने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार फोर्टिफाइड चावल वितरण के विस्तार पर होने वाले वित्तीय परिव्यय के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या चावल फोर्टिफिकेशन की शुरुआत के बाद से इसके स्वास्थ्य लाभों और परिणामों पर कोई अध्ययन या आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): चावल फोर्टिफिकेशन पहल को तीन चरणों में बढ़ाया गया - चरण-I (2021-22) में एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) और पीएम-पोषण को शामिल किया गया, चरण-II (2022-23) में आईसीडीएस, पीएम-पोषण और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत 291 आकांक्षी और उच्च बोझ वाले जिलों को शामिल किया गया और

.....2/-

चरण-III (2023-24) में आईसीडीएस, पीएम पोषण और टीपीडीएस के तहत सभी जिलों को शामिल किया गया। सरकार की प्रत्येक स्कीम में कस्टम-मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल से बदल दिया गया है और मार्च, 2024 तक फोर्टिफाइड चावल के वितरण का 100% कवरेज प्राप्त कर लिया गया है।

(ख): सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों के भार को कम करने के लिए खाद्य पदार्थों को पौष्टिक बनाना विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हस्तक्षेप है। यह एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति के तहत हस्तक्षेपों में से एक है और तदनुसार भारत सरकार द्वारा चावल को पौष्टिक बनाने की पहल की गई है। देश में महिलाओं और बच्चों के लाभार्थियों की कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए आईसीडीएस और पीएम पोषण योजना के तहत पौष्टिक चावल वितरित किया जा रहा है।

(ग): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी क्षेत्र की आबादी की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। पीएमजीकेएवाई के अलावा, भारत सरकार आईसीडीएस, पीएम-पोषण, कल्याणकारी संस्थानों और छात्रावास स्कीम आदि सहित अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत भी खाद्यान्न आबंटित कर रही है।

चावल फोर्टिफिकेशन पहल के तहत, सरकार की प्रत्येक स्कीम में कस्टम-मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल से बदल दिया गया है और मार्च, 2024 तक फोर्टिफाइड चावल के वितरण का 100% कवरेज प्राप्त कर लिया गया है।

(घ): सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक फोर्टिफाइड चावल की निरंतर आपूर्ति के लिए लगभग 17082 करोड़ रुपये के वित्तीय भार को केंद्रीय क्षेत्र की पहल के रूप में खाद्य सब्सिडी के भाग के रूप में पूरा किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ङ.): नीति आयोग ने चावल फोर्टिफिकेशन पहल के प्रभाव मूल्यांकन की निगरानी के लिए एक कोर समिति गठित की है। नीति आयोग और आईसीएमआर-एनआईएन ने भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले आयरन फोर्टिफाइड चावल के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए देश के छह अलग-अलग राज्यों के छह जिलों में अध्ययन किया है।

*****